GCMS No:- 2025/106

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम

प्रार्थी		अप्रार्थी
रूपाराम पुत्र भीयाराम जाति–सैन(नाई) निवासी– बुरडी तहसील–डेह,जिला–नागौर	**बनाम**	1–राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, नागौर 2–जिला रसद अधिकारी जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, नागौर

किस्म मुकदमा रसद मामला प्रार्थना पत्र **संख्या...** 91 **सन्** 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.04.2025	वकील प्रार्थी श्री भंवरलाल पोटलिया ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 बीएनएसएस,2023 एवं अधीन धारा सपठित धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण तीन ड्रम प्रत्येक ड्रम में 190–190 लीटर के कुल 570 लीटर पेट्रोल व छः ड्रम प्रत्येक 190–190 लीटर के कुल 1140 लीटर डीजल जब्त किया है, मामले की ट्रायल में लम्बा समय लगने की पूर्ण सम्भावना होने से उक्त पेट्रोल एवं डीजल सुपुर्दगी नामा व जमानत नामा पर सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। वकील प्रार्थी व प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन.) जिला रसद कार्यालय, नागौर की सुनवाई की गयी । मामले में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ध503 बीएनएसएस,2023 एवं सपठित धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संलग्नक कागजात की प्रतियां लोक अभियोजक, नागौर को जब्त सुदा सामग्री के संबध में पुलिस थाना सदर नागौर की केश डायरी व जांच रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.04.2024 को प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.04.2025 को पेश हो । **जिला कलक्टर,** **कलक्टर नागौर**	
21/04/25	वकील प्रार्थी एवं जेर सायल उप0/आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महो0 प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 22/04/2025 को पेश हो।	

22/04/2025	प्रार्थी अभिभाषक एवं अप्रार्थीगण उप० मूल प्रकरण की पत्रावली में शामिल हो चुकी है। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक 02/05/2025 को पेश हो। कलक्टर नागौर	
02/05/2025	वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उप०। मूल प्रकरण पत्रावली निर्णित हो चुकी है, इसलिए इस पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अवशेष नहीं है। अतः प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता कार्यवाही मूल प्रकरण की पत्रावली के संलग्न हो। कलक्टर नागौर	